N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT   P.S. (थाना): C.P.S Jaipur   Year (वर्ष): 2025

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0165   Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 26/06/2025 16:41 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):
   1. Day(दिन): दरमियानी दिन   Date From (दिनांक से): 19/06/2025   Date To (दिनांक तक): 24/06/2025
   Time Period (समय अवधि): पहर   Time From (समय से): 11:30 बजे   Time To (समय तक): 16:08 बजे
   (b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 26/06/2025   Time (समय): 14:00 बजे
   (c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 001   Date & Time (दिनांक एवं समय) 26/06/2025 16:41:50 बजे
4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित
5. Place of Occurrence (घटनास्थल):
   1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): SOUTH, 520 किमी   Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABLE
   (b) Address(पता): GRAM PANCHAYAT VAGDARI,, PANCHAYAT SAMITI DUNGARPUR
   (c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)
   Name of P.S (थाना का नाम):   District(State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): BHERA DAMOR

(b) Father's Name (पिता का नाम): JEEVA

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1991 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	GOAN UPLAPHALA VAGDARI, PALDEVAL, DUNGARPUR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	GOAN UPLAPHALA VAGDARI, PALDEVAL, DUNGARPUR, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.): [redacted]

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	RITIK KUMAR PATEL		पिता:HEERALAL PATIDAR	1. AODA CHHOTA,BICHHIWARA, BICHIWARA,DUNGARPUR,RAJASTHAN,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		5,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-) (चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):** 5,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary) (प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):**

महोदयजी, वाक्यात मामला इस प्रकार है कि दिनांक 19.06.2025 को समय करीब 11.30 ए.एम. पर परिवादी श्री भेरा डामोर पुत्र जीवा जाति भील उम्र 34 वर्ष निवासी उपलाफला वागदरी तहसील पालदेवल जिला डूंगरपुर ने उपस्थित चोकी होकर एक हस्तलिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि "उपरोक्त विषय मे मुझ भेरा डामोर पुत्र जीवा जाति भील उम्र 34 वर्ष निवासी उपलाफला वागदरी तहसील पालदेवल का निवेदन है की मेरी पत्नी श्रीमति मन्जुला के नाम से वागदरी ग्राम पंचायत मे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राशी स्वीकृत हुई है जो मेरी पत्नी मन्जुला के खाते मे बैंक आफ बडोदा की शाखा-पालदेवल मे 15,000/- रू. कि पहली किश्त जमा हुई है व शेष राशी अभी जमा होना बाकी है शेष बाकी किश्ते जारी कराने के लिए ग्राम पंचायत वागदरी के ग्राम विकास अधिकारी श्री रितिक पटेल 15,000 रूपये की मांग कर रहे है ओर कह रहे है कि 15000/- रूपये तुम मुझे दोगे जब ही दुसरी किश्त बैंक से जारी करवाने की कार्यवाही करूंगा रितीक पटेल ग्राम विकास अधिकारी मेरी पत्नी मन्जुला के नाम प्रधानमंत्री आवास योजना की बाकी किश्ते जारी कराने के लिए मेरे से 15000 रूपये रिश्वत मांग रहा है मै उसको रिश्वत नही देकर पकडवाना चाहता हु। मेरे उससे कोई लेनदेन बाकी नही है एवं नही मेरी उससे कोई पुरानी रंजिश है। कार्यवाही करावे"। जिस पर परिवादी द्वारा पेश रिपोर्ट पर मन् पुलिस निरीक्षक राजेन्द्र सिंह ने परिवादी से मजीद दरियाफ्त की तो परिवादी ने बताया कि मै अहमदाबाद में मजदुरी का कार्य करता हुं। मैं अभी 15-20 दिनो से घर पर आया हुआ हुं। प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रथम किश्त बैंक आफ बडौदा की शाखा पालदेवल में मेरी पत्नि श्रीमती मन्जुला के खाते में दिवाली से पहले जमा हुई थी। उसके बाद कोई भी किश्त अभी तक जमा नही हुई है। जिस पर मै ग्राम विकास अधिकारी श्री रितिक पटेल से जाकर मिला तो उन्होने मुझे कहा की तुम मुझे 15,000 रूपये दोगे जब ही दुसरी किश्त बैंक से जारी करवाने की कार्यवाही मै करूंगा रितीक पटेल ग्राम विकास अधिकारी मेरी पत्नि श्रीमती मन्जुला के नाम प्रधानमंत्री आवास योजना की बाकी किश्ते जारी कराने के लिए मेरे से 15000 रूपये रिश्वत मांग रहा है।" जिस पर परिवादी से उसके आधार कार्ड की छाया प्रति प्राप्त की गई। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र एवं दरियाफ्त पर परिवादी से मामला ट्रेप कार्यवाही का पाया जाने एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की परिधि में आने से रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन कराया जाना आवश्यक होने मे श्री रतन सिंह राजपुरोहित पुलिस उप अधीक्षक प्रभारी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो डूंगरपुर को जरिये मोबाईल सम्पूर्ण हालात अर्ज किये गये। तत्पश्चात कार्यालय के कानि0 श्री वीर विक्रम सिंह नं0 189 को मन् पुलिस निरीक्षक के कार्यालय कक्ष में बुलाकर परिवादी श्री भेरा डामोर और कानि0 वीर विक्रम सिंह का आपस में परिचय कराया गया। परिवादी श्री भेरा डामोर को रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन बाबत् अवगत कराया गया तो परिवादी श्री भेरा डामोर ने बताया की श्री रितिक पटेल ग्राम विकास अधिकारी साहब अभी ग्रांम पंचायत मे मिल सकते है इसलिए श्री रितिक पटेल ग्राम विकास अधिकारी साहब से रिश्वत राशि के सम्बंध में बातचीत हो सकती है। जिस पर परिवादी व श्री वीर विक्रम सिंह कानि0 के मोबाईल नम्बर परस्पर साझा कराये गये। मन् पुलिस निरीक्षक ने रिश्वत राशि मांग सत्यापन की कार्यवाही के क्रम में श्री वीर विक्रम सिंह कानि0 को पुलिस उप अधीक्षक के कार्यालय कक्ष की टेबल के दराज मे रखी डिजिटल वाईस रिकार्डर व एक खाली (नया) मेमोरी कार्ड निकलवाकर डिजिटल वाईस रिकार्डर में मेमोरी कार्ड लगाया जाकर डिजिटल वाईस रिकार्डर को चालू कर अवलोकन किया गया तो डिजिटल वाईस रिकार्डर व उसमें लगाया गया मेमोरी कार्ड खाली (रिक्त) होना पाया गया। परिवादी को डिजिटल वाईस रिकार्डर के संचालन की विधि की समझाईस कर संदिग्ध श्री रितिक पटेल से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता करने हेतु डिजिटल वाईस रिकार्डर मय् उसमें लगाये गये मेमोरी कार्ड के परिवादी को सुपुर्द कर श्री रितिक पटेल ग्राम विकास अधिकारी से वार्ता हेतु आवश्यक हिदायत दी गई तथा कानि. श्री वीर विक्रम सिंह को उसकी निजी मोटर साईकिल से व परिवादी मय डिजिटल वाईस रिकार्डर के उसकी निजी मोटर साईकिल के साथ समय 12.30 पीएम पर ग्राम पंचायत वागदरी की तरफ रवाना किया गया। समय करीब 03.05 पी0एम0. पर परिवादी श्री भेरा डामोर व कानि. श्री वीर विक्रम सिंह नम्बर 189 उपस्थित चोकी हो कानि. श्री वीर विक्रम सिंह ने डिजिटल वाईस रिकार्डर मय उसमें लगे हुए मेमोरी कार्ड को मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द कर बताया कि "श्रीमान के निर्देशानुसार मैं कानि0 एसीबी चोकी डूंगरपुर से अपनी निजी मोटरसाईकिल से व परिवादी श्री भेरा डामोर मय डिजिटल वाईस रिकार्डर के उसकी निजी मोटर साईकिल से रवाना हो समय करीब 01.00 पी.एम. पर ग्राम पंचायत वागदरी के पास पहुंच परिवादी द्वारा गोपनीय रूप से पता किया तो श्री रितिक पटेल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम

पंचायत पर उपस्थित नही होना ज्ञात हुआ। जिस पर मै व परिवादी ग्राम पंचायत वागदरी के आस-पास अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुये मुकिम रहे। तत्पश्चात करीब घण्टे भर बाद परिवादी ने मुझे बताया की श्री रितिक पटेल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत पर आ गये है। जिस पर मेरे द्वारा परिवादी को समझाईश कर संदिग्ध श्री रितिक पटेल ग्राम विकास अधिकारी से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता करने हेतु डिजिटल वाईस रिकार्डर मय् उसमें लगाये गये मेमोरी कार्ड के समय करीब 02.15 पीएम पर चालु कर ग्राम पंचायत वागदरी के लिए रवाना किया तथा मै ग्राम पंचायत वागदरी के बाहर अपनी उपस्थिति छुपाते हुए मुकिम रहा। तत्पश्चात कुछ समय बाद परिवादी मेरे पास आया तथा डिजिटल वाईस रिकार्डर मुझ कानि को सुपुर्द किया जो चालू था जिसे मैने बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा। तत्पश्चात परिवादी ने मुझे बताया कि रिश्वत राशी की बात श्री रितिक पटेल ग्राम विकास अधिकारी से हो गई है। उक्त वार्ता को मैने डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड कर लिया है। जिस पर मुझ कानि0 द्वारा उक्त समस्त हालात श्रीमान को जरिए मोबाईल निवेदन किये गये। इसके तत्पश्चात श्रीमान के निर्देशानुसार मन् कानि व परिवादी मय डिजिटल वाईस रिकार्डर के अपनी-अपनी निजी मोटरसाईकिल के रवाना हो हाजिर कार्यालय आये। तत्पश्चात परिवादी द्वारा मन् पुलिस निरीक्षक को बताया की जब मे श्री रितिक पटेल ग्राम विकास अधिकारी को ग्राम पंचायत वागदरी पर जाकर मिला तो उन्होने मुझे कहा की "अभी जियो टेग करेगे तभी पांच एडवांस देने है फिर आ जाये सेकण्ड इसके बाद दस हजार देने है तो फिर तीसरी आयेगी पहले देने है पांच हजार फिर सैकण्ड आ जाये इसके बाद दस हजार देने है।" जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजिटल वाईस रिकार्डर मय उसमें लगे हुए मैमोरी कार्ड में रिकार्ड शुदा रिश्वत राशी मांग सत्यापन वार्ता को चलाकर सुना गया तो परिवादी द्वारा बताये गए कथनो की ताईद होकर संदिग्ध श्री रितिक पटेल द्वारा परिवादी से रिश्वत राशी 5000/-रूपये की मांग करने की पुष्टि हुई। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा अब तक के सम्पूर्ण हालात उच्चाधिकारियों को अवगत कराये गये। जिस पर उच्चाधिकारियों द्वारा अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री भेरा डामोर को बताया कि 5000/- रूपये व्यवस्था कर कब तक कार्यालय में उपस्थित हो जाओगे तो परिवादी ने बताया कि मैं दिनांक 23.06.2025 को मय् रिश्वत राशी के कार्यालय में उपस्थित हो जाउंगा। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा संदीग्ध श्री रितिक पटेल को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 5000/- रूपये लेकर दिनांक 23.06.2025 को कार्यालय में उपस्थित होने एवं गोपनीयता बरतने की हिदायत दी गई। उक्त रिश्वत राशी मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट पृथक से मुर्तिब की जावेगी। परिवादी श्री भेरा डामोर द्वारा प्रस्तुत हस्तलिखित प्रार्थना पत्र एवं डिजिटल वाईस रिकार्डर मय उसमें लगे हुए मेमोरी कार्ड को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा पुलिस उप अधीक्षक के कार्यालय कक्ष की टेबल के दराज मे सुरक्षित रखा गया। तत्पष्चात तत्पशयात परिवादी को हिदायत देकर रवाना किया गया। दिनांक 23-06-2025 समय करीब 09.30 ए.एम. पर परिवादी श्री भेरा डामोर ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आया तथा मन् पुलिस निरीक्षक को बताया की श्री रितिक पटेल ग्राम विकास अधिकारी की मांग के मुताबिक रिश्वत में दी जाने वाली राशि 5000 रूपये की व्यवस्था कर लाया हू। इसके पश्चात् परिवादी को कार्यालय कक्ष में बैठाया गया। समय करीब 09.40 ए.एम पर ट्रेप कार्यवाही के क्रम में दो स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होने से अलग-अलग विभाग क्रमंश श्रीमान उप वन संरक्षक वन विभाग डूंगरपुर व श्रीमान अधीक्षण अभियंता कार्यालय अधिक्षण अभियंता जन स्वास्थय एवं अभियांत्रिकी विभाग डूंगरपुर को दिनांक 23.06.2025 को अविलम्ब स्वतंत्र गवाहान पत्र वाहक के साथ ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर पर भिजवाने बाबत् इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 843, 844 दिनांक 23.06.2025 से तेहरीर जारी कर श्री महेश चन्द्र कानि0 नम्बर 394 को पृथक-पृथक कार्यालय मे तहरीर देने रवाना किया गया। समय करीब 10.30 ए.एम. पर श्री महेश चन्द्र कानि0 नम्बर 394 के साथ दो स्वतंत्र गवाह उपस्थित कार्यालय आये। जिसे मन् पुलिस निरीक्षक ने अपना परिचय देते हुए उनसे उनका परिचय पुछा तो उन्होने अपना नाम श्री शत्रुघन अहारी पिता श्री सहदेव अहारी उम्र 31 वर्ष निवासी रघुनाथपुरा थाना दोवडा जिला डूंगरपुर हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय उप वन संरक्षक डूंगरपूर मो. [redacted] व श्री दिलीप पाटीदार पिता भगवानलाल पाटीदार उम्र 33 वर्ष निवासी सेमलिया घाटा पुलिस थाना चितरी हाल अधीशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियात्रिकी विभाग, वृत डुंगरपुर मोबाईल नम्बर [redacted] होना बताया। तत्पष्चात मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनो स्वतंत्र गवाहान को की जाने वाली ट्रेप कार्यवाही में बतौर गवाह उपस्थित रहने हेतु मौखिक सहमति चाही गई जिस पर दोनो स्वतंत्र गवाहान द्वारा अपनी-अपनी मौखिक सहमति दी गई। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा कार्यालय मे बैठे परिवादी श्री भेरा डामोर व दोनों स्वतंत्र गवाहान का आपस में परिचय करवाया गया। तत्पष्चात दिनांक 19.06.2025 को परिवादी श्री भेरा डामोर द्वारा प्रस्तुत हस्तलिखित प्रार्थना पत्र एवं डिजिटल वाईस रिकार्डर मय उसमें लगे हुए मेमोरी कार्ड जो पुलिस उप अधीक्षक के कार्यालय कक्ष की टेबल के दराज मे सुरक्षित रखा हुआ को निकाल कर परिवादी व दोनो स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री भेरा डामोर द्वारा पेष हस्तलिखित प्रार्थना पत्र को पढ़कर सुनाया गया तो परिवादी ने शब्द ब शब्द की पुष्टि कर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया गया। तत्पश्चात् परिवादी के प्रार्थना पत्र पर दोनों गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये । तत्पश्यात मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजिटल वाईस रिकार्डर को चालू कर दिनांक 23.06.2025 को परिवादी एवं संदिग्ध श्री रितिक पटेल ग्राम विकास अधिकारी के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के मुख्य-मुख्य अंष दोनों स्वतंत्र गवाहान को सुनाई गई तो दोनो स्वतंत्र गवाहान के द्वारा भी रिश्वत राशि की मांग सत्यापन की पुष्टि की गई।

तत्पश्यात उक्त डिजिटल वाईस रिकार्डर को ब्यूरो कार्यालय के लेपटॉप से कनेक्ट करवाकर मूल मेमोरी कार्ड में रिकार्डशुदा उक्त वार्ता को चलाकर सुना जाकर उक्त वार्ता की मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशन में श्री जितेन्द्र कुमार कानि0 नम्बर 390 द्वारा फर्द ट्रांसक्रिप्ट मूर्तिब की गई तथा मुर्तिबशुदा फर्द ट्रान्सक्रिप्ट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उपरोक्त फर्द ट्रान्सक्रिप्ट में परिवादी श्री भेरा डामोर ने एक आवाज अपनी स्वयं की तथा दूसरी आवाज संदिग्ध श्री रितिक पटेल ग्राम विकास अधिकारी की होने की पुष्टि की। समय करीब 12.52 पी.एम. पर संदिग्ध श्री रितिक पटेल ग्राम विकास अधिकारी की लोकेशन जानने के लिए मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री भेरा डामोर के मोबाईल नं [redacted] को लाउड स्पीकर पर रखते हुए संदिग्ध श्री रितिक पटेल के मोबाईल नं [redacted] पर कोल किया गया तो संदिग्ध श्री रितिक पटेल ग्राम विकास अधिकारी ने बताया की "देखता हु एक बार तुमको फोन करू है ना मै आज पंचायत समिति हूं मेरे आज वाला तो नही होगा कल करता हुं आज में बिजी हुं। उक्त वार्ता को डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकार्ड लिया गया। समय करीब 1.30 पी.एम. पर दिनांक 23.06.2025 को समय 12.52 पीएम पर परिवादी श्री भेरा डामोर व संदिग्ध श्री रितिक पटेल ग्राम विकास अधिकारी के मध्य मोबाईल पर हुई वार्ता जिसे परिवादी के मोबाईल को लाउड स्पीकर पर रखते हुए डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया था। उक्त डिजिटल वाईस रिकार्डर को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी व दोनो स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष ब्यूरो कार्यालय के लेपटाप से कनेक्ट करवाकर मूल मेमोरी कार्ड में रिकार्डशुदा उक्त वार्ता को चलाकर सुना जाकर उक्त वार्ता की मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशन में श्री जितेन्द्र कुमार कानि0 नम्बर 390 द्वारा फर्द ट्रांसक्रिप्ट मूर्तिब की गई तथा मुर्तिबशुदा फर्द ट्रान्सक्रिप्ट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उपरोक्त फर्द ट्रान्सक्रिप्ट में परिवादी श्री भेरा डामोर ने एक आवाज अपनी स्वयं की तथा दूसरी आवाज संदिग्ध श्री रितिक पटेल ग्राम विकास अधिकारी की होने की पुष्टि की। समय करीब 6.30 पी.एम तक कि संदिग्ध श्री रितिक पटेल ग्राम विकास अधिकारी का रिश्वत लेन-देन हेतु अब तक परिवादी के मोबाईल पर कोल नही आया जिस पर डिजिटल वाईस रिकार्डर मय उसमें लगे हुए मेमोरी कार्ड को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा पुलिस उप अधीक्षक के कार्यालय कक्ष की टेबल के दराज मे यथा स्थिति सुरक्षित रखा गया। तत्पशयात परिवादी व दोनो स्वतन्त्र गवाहान को दिनांक 24.06.2025 को समय 08.00 ए.एम पर ब्यूरो चैकी पर उपस्थित होने एवं गोपनीयता बरतने की हिदायत देकर रवाना किया गया। तत्पष्चात हालात उच्चाधिकारीयो को अर्ज किये गये। दिनांक 24.06.2025 समय करीब 08.00 ए.एम. पर पूर्व पाबन्दशुदा परिवादी श्री भेरा डामोर व स्वतन्त्र गवाहान श्री षत्रुघन अहारी कनिष्ठ सहायक व श्री दिलीप पाटीदार अधीशाषी अभियन्ता, ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आये। परिवादी ने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया की श्री रितिक पटेल ग्राम विकास अधिकारी की मांग के मुताबिक रिश्वत में दी जाने वाली राशि 5000 रूपये साथ लेकर आया हू। इसके पश्चात् परिवादी व स्वतन्त्र गवाहान को कार्यालय कक्ष में बैठाया गया। समय करीब 02.30 पी.एम. पर दोनों स्वतंत्र गवाहान समक्ष मन् पुलिस निरीक्षक के द्वारा परिवादी श्री भेरा डामोर को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने हेतु कहने पर परिवादी ने अपने पास से रिश्वत में दी जाने वाली राशी भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 10 नोट कुल राशी 5000/-रूपये प्रस्तुत किये। उपरोक्त समस्त नोटों के नम्बर निम्नानुसार है 01 एक नोट 500/- रुपये का नम्बर 4NK103025 02 एक नोट 500/- रुपये का नम्बर 9DT802405 03 एक नोट 500/- रुपये का नम्बर 9BR652324 04 एक नोट 500/- रुपये का नम्बर 5UE083406 05 एक नोट 500/- रुपये का नम्बर 2EH446524 06 एक नोट 500/- रुपये का नम्बर 5BG129375 07 एक नोट 500/- रुपये का नम्बर 6FF136703 08 एक नोट 500/- रुपये का नम्बर 5FB679008 09 एक नोट 500/- रुपये का नम्बर 9DN384210 10 एक नोट 500/- रुपये का नम्बर 7VN874783 परिवादी श्री भेरा डामोर की जामा तलाशी गवाह श्री दिलीप पाटीदार से लिवाई गई। जिस में परिवादी के पास एक मोबाईल फोन के अलावा कुछ नही मिला जिसे परिवादी को सुपुर्द किया गया। परिवादी श्री भेरा डामोर द्वारा पेश किये गये उक्त समस्त नोटों पर श्री महेश चन्द्र कानि. नं. 394 मे पुलिस उप अधीक्षक के कार्यालय कक्ष की टेबल की दराज में रखी फिनोफ्थलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट पाउडर की शीशीयो को मंगवाया जाकर कार्यालय मे टेबल पर अखबार बिछाकर उपरोक्त नोटों के दोनो ओर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। संदिग्ध श्री रितिक पटेल को देने के लिए परिवादी श्री भेरा डामोर द्वारा पेश किये गये नोटो को श्री महेश चन्द्र कानि. से ही परिवादी श्री भेरा डामोर की पहनी हुई पेन्ट की आगे की दाहीनी जेब में कोई शेष नही छोड़ते हुए रखवाये गये। तत्पश्चात् श्री दीपक कुमार कानि. 87 से एक प्लास्टिक के डिस्पोजल के साफ गिलास में साफ पानी मंगवाया जिसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया जाकर गवाहान एवं परिवादी को दिखाया गया तो उन्होंने घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। उक्त रंगहीन घोल में श्री महेश चन्द्र कानि. की उंगलियों व अंगुठे को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर बताई गई एवं उसके मन्तव्य मे अवगत कराते हुए बताया कि यदि आरोपी परिवादी से रिश्वत् राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगा तो नोटों पर लगा फिनोफ्थलीन पाउडर उनकी हाथों की अंगुलियों व अंगुठे पर लग जाएगा और जब उसके हाथों की उंगलियों व अंगुठे को उपरोक्तानुसार धुलवाया जाएगा तो घोल का रंग गुलावी हो जाएगा। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वत् राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी घोल को श्री महेश चन्द्र कानि. से

कार्यालय के बाहर नाली में फिकवाया गया तथा अखबार व प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास को जलाकर नष्ट किया गया। फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को श्री महेश चन्द्र कानि. से ही पुलिस उप अधीक्षक के कार्यालय कक्ष की टेबल कि दराज में सुरक्षित रखवाई गई तथा परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि वह संदिग्ध के द्वारा रिश्वत राशि मांगने पर ही उसे देवे तथा रिश्वत राशि देने से पूर्व या देने के बाद उसके शरीर के किसी अंग को नहीं छुए। यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करें। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि रिश्वत राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रदर्शन न करे, तथा रिश्वत राशि दे चुकने के बाद अपने सिर पर हाथ फेर कर या मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल नम्बर पर मिस कोल कर गोपनीय निर्धारित ईशारा करें। यह निर्धारित ईशारा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को समझाया गया। श्री दीपक कुमार कानि. से ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाली कांच की शिशिया, प्लास्टिक के डिस्पोजल, ढक्कन, चम्मच इत्यादि को साफ पानी व साबुन से दो बार धुलवाकर ट्रेप बाक्स में रखवाये गये। कार्यालय में उपस्थित स्टाफ के सदस्यों व दोनो गवाहान तथा परिवादी का आपस में परिचय करवाया गया तत्पश्चात् गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को यह भी हिदायत दी गई कि यथासंभव अपनी-अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादी तथा संदिग्ध के मध्य रिश्वत राशि के लेन-देन को देखने व सुनने का प्रयास करे एवं परिवादी श्री भेरा डामोर को हिदायत दी गई कि रिश्वत् राशि के लेन-देन के वक्त संदिग्ध से होने वाली वार्तालाप को डिजीटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड करें। परिवादी, स्वतंत्र गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। श्री महेश चन्द्र कानि. को ब्यूरो कार्यालय मे ही उपस्थित रहने की हिदायत दी गई । परिवादी को डिजीटल वाईस रिकार्डर चालु व बंद करने की विधि को पुनः समझाकर डिजिटल वाईस रिकार्डर मय उसमें लगे हुए मेमोरी कार्ड को परिवादी को सुपूर्द कर संदिग्ध श्री रितिक पटेल से रिश्वत् राशि लेनदेन वार्तालाप को उक्त डिजिटल वाइस रिकार्डर में रिकार्ड करने की आवष्यक हिदायत दी गई। उक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तीब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा शामिल कार्यवाही की गई। समय करीब 03.00 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा समस्त ब्यूरो जाब्ता को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री शत्रुघन अहारी कनिष्ठ सहायक व श्री दिलीप पाटीदार अधीशाषी अभियन्ता से आपस में परिचय करवाया जाकर ट्रेप कार्यवाही हेतु आवष्यक दिशा-निर्देश दिये जाकर समस्त हालात उच्च अधिकारीगण को निवेदन किये गये। समय करीब 03.10 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री बाबुलाल कानि0 नम्बर 393 को बुलाकर पुलिस उप अधीक्षक के कार्यालय कक्ष की टेबल के दराज में से सरकारी मोबाईल फोन सेमसंग कम्पनी ¼Galaxy XCover7 ekWMy-SM-G556B½ चार्जींग केबल, पावर बैंक व दो रिक्त (खाली) मेमोरी कार्ड निकलवाकर उक्त समस्त उपकरणों की जांच की गई तो उक्त समस्त उपकरण सही ढंग से संचालित होना पाये गये तथा सरकारी मोबाईल फोन सेमसंग कम्पनी में एक रिक्त (खाली) मेमोरी कार्ड ¼MORJIM 8 GB Micro SD HC½ डलवाकर उक्त सरकारी मोबाईल फोन को श्री बाबु लाल कानि0 नम्बर 393 को सुपुर्द कर रिश्वत् राशि बरामदगी की कार्यवाही के दौरान वीडियोग्राफी कर वीडियों को उक्त मेमोरी कार्ड में रिकार्ड करने तथा बरामदगी की वीडियोग्राफी के पष्चात उक्त मूल मेमोरी कार्ड मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द करने हेतु निर्देशीत किया गया तथा इसके अतिरिक्त संदिग्ध के आवास की खाना तलाषी की कार्यवाही के दौरान सरकारी मोबाईल फोन के माध्यम से वीडियोग्राफी करने हेतु एक रिक्त (खाली) मेमोरी कार्ड ¼ MORJIM 8 GB Micro SD HC½ श्री बाबु लाल कानि0 नम्बर 393 को सुपुर्द कर वीडियोग्राफी हेतु निर्देशीत किया गया। समय करीब 03.27 पी.एम. पर श्री करण सिंह एएसआई, मय स्वतन्त्र गवाह श्री दिलीप पाटीदार अधीशापी अभियन्ता, श्री वीर विक्रम सिंह कानि. 189, श्री बाबुलाल कानि. 393 व श्री दीपक पाटीदार कानि. 87 मय लेपटोप, प्रिन्टर, ट्रेप बाक्स, व आवश्यक संसाधनों के जरिये सरकारी वाहन संख्या आर.जे.-14-यु जे-1745 से रवाना कर उनके पीछे -पीछे मन् पुलिस निरीक्षक, मय् स्वतन्त्र गवाह श्री शत्रुघन अहारी कनिष्ठ सहायक, श्री धिरेन्द्र सिंह कानि. 546, श्री जितेन्द्र कुमार कानि. 390 व परिवादी श्री भेरा डामोर मय डिजिटल वाईस रिकार्डर मय उसमें लगे हुए मेमोरी कार्ड, के मेरी निजी कार से ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर से ग्राम पंचायत वागदरी जिला डूंगरपुर की तरफ जाने रवाना हुए। समय करीब 03.37 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के पूर्वानुसार अपने-अपने वाहनो से ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर से रवानाशुदा इस समय ग्राम पंचायत वागदरी जिला डूंगरपुर के आस-पास पंहुच अपने-अपने वाहनो को रोड के साईड में खडा किया। जहा परिवादी ने अपने पास से डिजिटल वाईस रिकार्डर को निकाल कर कानि. श्री जितेन्द्र कुमार को दिया जिस पर कानि. जितेन्द्र कुमार द्वारा उसे शुरू कर समय 03.39 पी.एम पर परिवादी को सुपुर्द कर ग्राम पंचायत वागदरी जिला डूंगरपुर के लिए रवाना किया व मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के पूर्वानुसार अपने-अपने वाहनो मे अपनी-अपनी उपस्थिति को छुपाते हुए परिवादी के पूर्व निर्धारित ईशारे के इन्तजार में ग्राम पंचायत वागदरी के आस-पास मुकिम हुय। समय करीब 04.08 पी.एम. पर परिवादी श्री भेरा डामोर ने आरोपी द्वारा रिश्वत राशि ग्रहण करने के पशयात पूर्व निर्धारित ईशारा मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल नम्बर पर मिस कोल किया जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा अपने हाथ से ईशारा कर श्री करण सिंह एएसआई को आरोपी द्वारा रिश्वत राशि ग्रहण करना बताया जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक व हमराहियान के पूर्वानुसार अपने-अपने वाहनो से रवाना हो ग्राम पंचायत वागदरी के परिसर में खडे परिवादी श्री भेरा डामोर के पास पहुंचे तो परिवादी ने रिश्वती राशि के लेनदेन के वक्त हुई वार्तालाप जिसे परिवादी के द्वारा ब्यूरो के डिजीटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड की, उस डिजीटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड को मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द

किया। जिसे मेरे द्वारा बंद कर मेरे पास सुरक्षित रखा गया। तत्पश्चात परिवादी श्री भेरा डामोर ने ग्राम पंचायत वागदरी के कार्यालय कक्ष के गेट पर खडे दो व्यक्ति मे से एक व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि यही श्री रितिक पटेल ग्राम विकास अधिकारी हैं जिन्होने अभी थोडी देर पहले अपनी मांग के अनुसार 5000/-रूपये मेरे से ग्रहण कर अपनी पहनी हुई पेन्ट की पिछे की दाहिनी जेब मे रखे है। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वयं का परिचय पत्र दिखाते हुए स्वंय का तथा स्वतंत्र गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों का परिचय देते हुए अपने आने के मन्तव्य से अवगत करा आरोपी से उसका नाम पूछा तो आरोपी घबरा गया। तत्पष्चात् मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपी को पुनः तसल्ली देते हुए उसका नाम व पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री रितिक कुमार पटेल पुत्र श्री हीरालाल पाटीदार उम्र 23 वर्ष निवासी पटेलवाडा मुकाम छोटा ओडा पुलिस थाना बिछीवाडा जिला डुंगरपुर हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत वागदरी जिला डुंगरपुर का होना बताया। तत्पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री जितेन्द्र कुमार कानि. को आरोपी का दाहिना हाथ एवं श्री दीपक पाटीदार कानि. को आरोपी का बाया हाथ कलाई के उपर से पकड़वाया जाकर उसी अवस्था में मौके से डिटेन कर उसके कार्यालय कक्ष मे ले गये। तत्पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री भेरा डामोर की ओर ईशारा करते हुए आरोपी श्री रितिक कुमार पटेल से पूछा कि आप इसको जानते हो, इसका नाम क्या है, इसका काम क्या बाकी है, इसको पहचानते हो क्या, इसका नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, कोनसे पद पर हो, ग्राम विकास अधिकारी हो क्या तो आरोपी कुछ नही बोल कर रोने लगा व कहने लगा की सर गलती हो गई मे नया हु। आरोपी को बार-बार पूछने पर भी आरोपी रोता रहा। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी से पूछा की इसने आपसे पैसे लिये क्या तो परिवादी ने कहा 5000 हजार रूपये लिये परिवादी से पूछा किस लिए लिये तो परिवादी ने बताया की मकान की किश्त जारी करने के लिए लिये परिवादी से पूछा इनको जानते हो तो परिवादी ने कहा रितिक पटेल सचिव बोलते (ग्राम विकास अधिकारी) है। तत्पष्चात अग्रिम कार्यवाही के क्रम में आरोपी के दोनों हाथों का धोवन एवं पहनी हुई पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब का धोवन लिया जाना आवष्यक होने से कानि. श्री वीर विक्रम सिंह से सरकारी वाहन बोलेरो में रखे हुए ट्रेप बोक्स को मंगवा कर ट्रेप बोक्स में से दो साफ प्लास्टिक के पारदर्षी डिस्पोजल गिलासों में ग्राम पंचायत वागदरी मे आरोपी के कार्यालय मे पीने के पानी की बोतल मे से अलग-अलग पानी भरकर उक्त दोनों गिलासों में अलग-अलग एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया। उक्त घोल को उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान व परिवादी को दिखाया गया तो रंगहीन घोल होना बताया। जिस पर एक गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी के दाहिने हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को धुलवाया गया तो दाहिने हाथ के धोवन का मिश्रण हल्का मटमेला हो गया जिसे हाजरिन को दिखाया गया तो हल्का मटमेला होना स्वीकार किया जिसे दो अलग-अलग साफ कांच की शिशियों में भरकर शीशीयों को सिल-चिट कर, चिट व कपडे पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा मार्क RH1 व RH2 अंकित कर उक्त सिलचिट शुदा शीशीयां कब्जे ब्यूरो ली गई। इसी तरह दूसरे प्लास्टिक के पारदर्षी डिस्पोजल गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी के बाये हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को धुलवाया गया तो बायें हाथ के धौवण का रंग मटमेला हो गया। जिसे हाजरिन को दिखाया गया तो मटमेला रंग का घोल होना स्वीकार किया। जिसे दो अलग-अलग साफ कांच की शिशियों में भरकर शीशीयों को सिल-चिट कर, चिट व कपडे पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा मार्क LH1 व LH-2 अंकित कर उक्त सिलचिट शुदा शीशीयां कब्जे ब्यूरो ली गई। तत्पष्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने आरोपी श्री रितिक कुमार पटेल को कहा कि पैसे कहा है, तो आरोपी कुछ नही बोला तब मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री भेरा डामोर से पुछा तो परिवादी द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष बताया कि इनकी पेन्ट की पिछे की दाहिनी जेब में रखे हैं। जिस पर रिश्वत राशि बरामद किया जाना आवश्यक होने से स्वतंत्र गवाह श्री दिलीप पाटीदार अधीशाषी अभियंता से आरोपी श्री रितिक कुमार पटेल की पहनी हुई पेन्ट बरंग काला जिन्स पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब की तलाशी लिवाई गई तो उक्त जेब से 500-500 रूपये के कुछ नोट बरामद हुए, जिसे स्वतंत्र गवाह श्री दिलीप पाटीदार अधीशाषी अभियंता से गिनवाये गये तो भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 10 नोट राशी 5000 रूपये होना बताया। उक्त नोटों के नम्बरो का मिलान पूर्व में मुर्तिबशुदा फर्द पेशकशी नोट से करवाया गया तो नोटो के नम्बर निम्नानुसार समान पाये गयेः- 01 एक नोट 500/- रुपये का नम्बर 4NK103025 02 एक नोट 500/- रुपये का नम्बर 9DT802405 03 एक नोट 500/- रुपये का नम्बर 9BR652324 04 एक नोट 500/- रुपये का नम्बर 5UE083406 05 एक नोट 500/- रुपये का नम्बर 2EH446524 06 एक नोट 500/- रुपये का नम्बर 5BG129375 07 एक नोट 500/- रुपये का नम्बर 6FF136703 08 एक नोट 500/- रुपये का नम्बर 5FB679008 09 एक नोट 500/- रुपये का नम्बर 9DN384210 10 एक नोट 500/- रुपये का नम्बर 7VN874783 उपरोक्त बरामद शुदा रिश्वत राशी भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 10 नोट राशी 5000 रूपये को स्वतंत्र गवाह श्री दिलीप पाटीदार अधीशाषी अभियंता को अपने पास ही सुरक्षित रखने की आवष्यक हिदायत देकर सम्भलाई गई। इसके अलावा आरोपी के पास एक मोबाईल रेडमी 5जी कम्पनी का हो जिसमे दो सिमकार्ड लगे हो एक जीओ कम्पनी की सिम जिसके नम्बर [redacted] व दुसरी सिम एयरटेल कम्पनी की जिसके नम्बर आरोपी को याद नही होना बताया व पहनी हुई पेन्ट की जेब मे से एक पर्स मिला जिन्हे सुरक्षित स्वतन्त्र गवाह श्री शत्रुघन अहारी कनिष्ठ सहायक के पास रखवाया गया। इसके पश्चात आरोपी की पहनी हुई पेन्ट बरंग काला जिन्स पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब जहां से रिश्वत राशी 5000 रूपये बरामद की गयी, उक्त जेब का धोवन लिया जाना आवष्यक होने से आरोपी की पहनी हुई उक्त बरंग

काला जिन्स पेन्ट को स्वतंत्र गवाहान के समक्ष ससम्मान उतरवाकर आरोपी के बरसाती लोवर मंगवाकर पहनाया जाकर ब्यूरो कार्यालय के श्री वीर विक्रम सिंह कानि. से ट्रेप बोक्स में से एक साफ प्लास्टिक की पारदर्शी डिस्पोजल गिलास निकलवाकर उक्त गिलास में साफ पानी भरवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया। उक्त घोल को उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान को दिखाया गया तो रंगहीन घोल होना बताया तथा उक्त गिलास के रंगहीन घोल में उक्त पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब को उलटवाई हुई को डुबोकर धुलवाया गया तो उक्त जेब के धोवन के घोल का रंग गुलाबी हो गया। जिसे हाजरिन को दिखाया गया तो गुलाबी रंग का घोल होना स्वीकार किया। जिसे दो अलग-अलग साफ कांच की शिशियों में भरकर शीशीयों को सिल-चिट कर, चिट व कपडे पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा मार्क P1 व P2 अंकित कर उक्त सिलचिटशुदा शीशीयां कब्जे ब्यूरो ली गई। तत्पष्चात् उक्त पहनी हुई बरंग काला जिन्स पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब को सुखाकर उस पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पष्चात उक्त जिन्स पेन्ट को समेटकर एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सिलचिट कर मार्क P अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर वजह सबुत कब्जे ब्यूरो ली गई। इसके पश्चात् रिश्वत राशी भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 10 नोट राशी 5000 रूपये जो आरोपी की पहनी हुई बरंग काला जिन्स पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब से दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष बरामद हुए हैं जो स्वतंत्र गवाह श्री दिलीप पाटीदार अधीशाषी अभियंता के पास में सुरक्षित रखवाये गये थे जो श्री दिलीप पाटीदार अधीशाषी अभियंता द्वारा पेष किये जाने पर उक्त रिश्वत राशी भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 10 नोट राशी 5000 रूपये के नोटों को सफेद कागज की चिट लगाकर नियमानुसार सीलचिट करा संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर वजह सबुत कब्जे ब्यूरो लिये गये। कार्यवाही मे प्रयुक्त प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास को स्वतन्त्र गवाहान की मौजुदगी में जलाकर नष्ट किये गये। तत्पष्चात आरोपी श्री रितिक कुमार पटेल को परिवादी भेरा डामोर की पत्नि मन्जुला के नाम प्रधानमंत्री आवास योजना के सम्बन्ध में रिकार्ड मांगा गया तो आरोपी श्री रितिक कुमार पटेल ने बताया की प्रधानमंत्री आवास योजना का रिकार्ड ओंन लाईन होता है या पंचायत समिति डुंगरपुर मे मिलेगा। मेरे पास तो ओंन लाईन जियो टेग होता है। फर्द बरामदगी ब्यूरो कार्यालय के लेपटॉप पर ग्राम पंचायत वागदरी पर समय करीब 5.10 पी.एम. पर समाप्त की गई। उक्त कार्यवाही के दौरान धारा 105, बी.एन.एस.एस. 2023 की पालना करते हुए उक्त रिश्वत राशी बरामदगी की वीडियोग्राफी मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार श्री बाबुलाल कानि0 नम्बर 393 द्वारा सरकारी मोबाईल फोन (सेमसंग कम्पनी) के माध्यम से ब्यूरो कार्यालय के मूल मेमोरी कार्ड में रिकार्ड की गई तथा उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय करीब 05.15 पीएम पर मौके पर बारिष होने के कारण बिजली नही होने से अग्रिम कार्यवाही हेतु इस समय मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियानों एवं डिटेनशुदा आरोपी श्री रितिक कुमार पटेल, सिलचिटशुदा आर्टिकल, रिश्वत राशि, डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड, ट्रेप बोक्स एवं आवश्यक संसाधन के अपने-अपने वाहनों से ग्राम पंचायत वागदरी से ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर के लिए रवाना हुए। समय करीब 05.25 पीएम पर बाद कार्यवाही मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियानों एवं डिटेनशुदा आरोपी श्री रितिक कुमार पटेल, सिलचिटशुदा आर्टिकल, रिश्वत राशि, डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड, ट्रेप बोक्स एवं आवश्यक संसाधन के अपने-अपने वाहनों से ग्राम पंचायत वागदरी से रवानाशुदा ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर पहुंच सिलचिटशुदा आर्टिकल व ट्रेप बोक्स को कानि. श्री वीर विक्रम सिंह को सम्भलाया गया। समय करीब 05.40 पीएम पर परिवादी श्री भेरा डामोर की पत्नि मन्जुला के नाम प्रधानमंत्री आवास योजना के रिकार्ड व आरोपी के सेवा विवरण रिकार्ड हेतु विकास अधिकारी पंचायत समिति डूंगरपुर जिला डूंगरपुर के नाम कार्यालय पत्र क्रमांक 857 व 858 दिनांक 24.06.2025 जारी कर श्री महेश चन्द्र कानि. 394 को तहरीर दीं जाकर पंचायत समिति डूंगरपुर रवाना किया गया। समय करीब 06.00 पीएम पर श्री महेश चन्द्र कानि. 394 परिवादी श्री भेरा डामोर की पत्नि मन्जुला के नाम प्रधानमंत्री आवास योजना के रिकार्ड व आरोपी के सेवा विवरण रिकार्ड हेतु विकास अधिकारी पंचायत समिति डूंगरपुर जिला डूंगरपुर के नाम कार्यालय पत्र क्रमांक 857 व 858 दिनांक 24.06.2025 से जारी तहरीर पंचायत समिति डूंगरपुर देकर उपस्थित ब्यूरों कार्यालय आया। समय करीब 06.15 पी.एम. पर ब्यूरों द्वारा की जा रही कार्यवाही मे समय लगेगा संध्या का समय हो चुका है आरोपी के निवास स्थान की खाना तलाशी लिया जाना आवष्यक होने से इस समय मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री बाबु लाल कानि0 नम्बर 393 को रिष्वत राशी बरामदगी की कार्यवाही के दौरान सरकारी मोबाईल फोन सेमसंग कम्पनी से वीडियोग्राफी करने तथा वीडियो को ब्यूरो कार्यालय के मूल मेमोरी कार्ड ¼MORJIM 8 GB Micro SD HC) में रिकार्ड करने हेतु सरकारी मोबाईल फोन मय मेमोरी कार्ड के सुपुर्द कर निर्देशीत किया गया था। जिस पर श्री बाबुलाल कानि0 द्वारा रिश्वत राशी बरामदगी की कार्यवाही के दौरान की गई वीडियोग्राफी के पष्चात समय 06.05 पी.एम पर सरकारी मोबाईल फोन से उक्त मूल मेमोरी कार्ड ¼MORJIM 8 GB Micro SD HC) निकालकर मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द किया जिसे मैने अपने पास सुरक्षित रखा। आरोपी श्री रितिक कुमार पटेल के किराये के रूम प्रगति नगर डूंगरपुर में स्थित रूम की खाना तलाशी ली जानी हैं इस हेतु श्री बाबु लाल कानि0 नम्बर 393 के पास रखे एक रिक्त (खाली) मेमोरी कार्ड ¼MORJIM 8 GB Micro SD HC) जो पूर्व में श्री बाबु लाल कानि0 को सुपुर्द किया गया था जिसे सरकारी मोबाईल फोन में लगवाकर आरोपी श्री रितिक कुमार पटेल के किराये के रूम की खाना तलाषी की कार्यवाही के दौरान सरकारी मोबाईल फोन से वीडियोग्राफी करने एवं वीडियो को ब्यूरो कार्यालय के मूल मेमोरी कार्ड

¼MORJIM 8 GB Micro SD HC) में रिकार्ड करने हेतु निर्देशीत किया जाकर आरोपी श्री रितिक कुमार पटेल के किराये के रूम की खाना तलाशी लेने हेतु इस समय मन् पुलिस निरीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान मय डिटेनषुदा आरोपी श्री रितिक कुमार पटेल मय ब्यूरो जाब्ता श्री करण सिंह स.उ.नि., श्री बाबु लाल कानि0 नम्बर 393, श्री जितेन्द्र कुमार कानि. 390 व आवष्यक संसाधन के मय सरकारी बोलेरो के आरोपी के किराये के रूम प्रगति नगर डूंगरपुर के लिए रवाना हुए। समय करीब 07.15 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान मय डिटेनशुदा आरोपी श्री रितिक कुमार पटेल के पूर्वानुसार रवानाषुदा प्रगति नगर डूंगरपुर में स्थित आरोपी के किराये के रूम पर पहुच कर नियमानुसार खाना तलाशी ली गई तथा श्री बाबु लाल कानि0 नम्बर 393 से सरकारी मोबाईल फोन से उक्त खाना तलाशी की विडियोग्राफी करवायी गई तथा फर्द खाना तलाशी रिपोर्ट पृथक से मूर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये जाकर इस समय मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान मय डिटेनशुदा आरोपी श्री रितिक कुमार पटेल के प्रगति नगर डूंगरपुर में स्थित किराये के रूम से रवाना हो ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर पर उपस्थित आये तथा श्री बाबु लाल कानि0 द्वारा आरोपी के किराये के रूम की खाना तलाशी की कार्यवाही के दौरान की गई वीडियोग्राफी के पष्चात सरकारी मोबाईल फोन से उक्त मूल मेमोरी कार्ड ¼MORJIM 8 GB Micro SD HC)) निकालकर मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द किया जिसे मैने अपने पास सुरक्षित रखा। समय करीब 07.20 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री शत्रुघन अहारी कनिष्ठ सहायक व श्री दिलीप पाटीदार अधीशाषी अभियन्ता व परिवादी श्री भेरा डामोर एवं आरोपी श्री रितिक कुमार पटेल ग्राम विकास अधिकारी के समक्ष मन् पुलिस निरीक्षक के पास सुरक्षित रखे डिजिटल वाईस रिकार्डर मय उसमें लगे मूल मेमोरी कार्ड में रिकार्डशुदा दिनांक 24.06.2025 को समय करीब 3.39 पी.एम पर आरोपी श्री रितिक कुमार पटेल हाल ग्राम विकास अधिकारी एवं परिवादी श्री भेरा डामोर के मध्य हुई रिश्वत् लेनदेन वार्ता को जो कि कार्यालय के डिजीटल वाईस रिकार्डर में लगे मूल मेमोरी कार्ड में रिकार्ड की गई। उक्त डिजिटल ट्रेप रिकार्डर को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा ब्यूरो कार्यालय के लेपटॉप से कनेक्ट करवाकर मूल मेमोरी कार्ड में रिकार्डशुदा उक्त वार्ता को चलाकर सुना जाकर उक्त वार्ता की मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशन में श्री जितेन्द्र कुमार कानि0 नम्बर 390 द्वारा फर्द ट्रान्सक्रिप्ट मूर्तिब की गई तथा मुर्तिबषुदा फर्द ट्रान्सक्रिप्ट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उपरोक्त फर्द ट्रान्सक्रिप्ट में परिवादी श्री भेरा डामोर ने एक आवाज अपनी स्वयं की एवं दूसरी आवाज आरोपी श्री रितिक कुमार पटेल ग्राम विकास अधिकारी की होने की पुष्टि की तथा श्री रितिक कुमार पटेल ग्राम विकास अधिकारी ने भी उपरोक्त वार्ता में एक आवाज अपनी स्वयं की होने की पुष्टि उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष की। इसके पष्चात मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजिटल वाईस रिकार्डर मय उसमें लगे हुए मूल मेमोरी कार्ड को अपने पास सुरक्षित रखा गया। समय करीब 09.00 पीएम पर श्री गौरीशंकर, अतिरिक्त विकास अधिकारी पंचायत समिति डुंगरपुर उपस्थित कार्यालय हो विकास अधिकारी पंचायत समिति डुंगरपुर के कार्यालय पत्र क्रमांक 969 दिनांक 24.06.2025 से आरोपी रितिक कुमार पटेल ग्राम विकास अधिकारी का सेवा विवरण व पत्र क्रमांक 968 दिनांक 24.06.2025 से प्रधानमंत्री आवास प्लस 2018 की आवास वरीयता सूची क्रम संख्या 33 पर परिवादी का नाम दर्ज है। प्रधानमंत्री आवास का स्वीकृति आदेश जो परिवादी भेरा डामोर की पत्नि श्रीमती मन्जुला डामोर के नाम से जारी आदेश की प्रति। प्रधानमंत्री आवास का लाभार्थी फार्म, ग्राम पंचायत वागदरी द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के लिये जारी किया गया अनुशंषा प्रमाण पत्र, परिवादी की पत्नि मन्जुला के द्वारा प्रधानमंत्री आवास के लिये प्रस्तुत आवेदन पत्र , परिवादी की पत्नि श्रीमजी मन्जुला का आधार कार्ड, राशनकार्ड, जनाधार कार्ड, जॉब कार्ड एवं जमाबन्दी की नकल उक्त सभी दस्तावेंजों की छायाप्रति हो विकास अधिकारी पंचायत समिति डुंगरपुर द्वारा प्रमाणित किये हुये, जिन्हें अवलोकन कर शामिल पत्रावली किया गया। समय करीब 09.30 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री शत्रुघन अहारी कनिष्ठ सहायक व श्री दिलीप पाटीदार अधीशाषी अभियन्ता एवं आरोपी श्री रितिक कुमार पटेल ग्राम विकास अधिकारी के समक्ष आरोपी श्री रितिक पटेल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत वागदरी पंचायत समिति डूंगरपुर जिला डूंगरपुर की परिवादी श्री भेरा डामोर से दिनांक 19.06.2025 को रूबरू हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता व दिनांक 23.06.2025 को जरिये मोबाईल हुई वार्ता एवं दिनांक 24.06.2025 को परिवादी श्री भेरा डामोर व आरोपी श्री रितिक कुमार पटेल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत वागदरी पंचायत समिति डूंगरपुर जिला डूंगरपुर के मध्य रिश्वत राशि लेन देन के दौरान हुई वार्ता, जिनकी मूल मेमोरी कार्ड जो ब्यूरों के डिजिटल टेप रिकार्डर में हैं उक्त डिजिटल टेप रिकार्डर को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा कानि. श्री जितेन्द्र कुमार से लेपटॉप से कनेक्ट करा उक्त वार्ताओं को बारी-बारी से चलाकर श्री गोरीशंकर पिता श्री रामगोपाल कटारा उम्र 53 वर्ष जाति मीणा निवासी मु. खरपेडा पोस्ट रास्तापाल पुलिस थाना धम्बोला जिला डूंगरपुर हाल अतिरिक्त विकास अधिकारी पंचायत समिति डूंगरपुर को सुनाई गई, तो उक्त दर्ज वार्ताओ में श्री गोरीषंकर कटारा ने एक आवाज श्री रितिक कुमार पटेल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत वागदरी पंचायत समिति डूंगरपुर जिला डूंगरपुर की होना बताया। श्री गोरीशंकर कटारा ने बताया कि मैं कार्यालय पंचायत समिति डूंगरपुर में अतिरिक्त विकास अधिकारी के पद पर पदस्थापित हू। इसलिए मैं श्री रितिक कुमार पटेल ग्राम विकास अधिकारी की आवाज को पहचानता हू तथा अन्य आवाज की पहचान नहीं की गई। तत्पष्चात श्री गोरीशंकर कटारा अतिरिक्त विकास अधिकारी को रूकसत किया गया। कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय करीब 10.00 पीएम तक की सम्पूर्ण

कार्यवाही से आरोपी श्री रितिक कुमार पटेल पिता श्री हिरालाल पाटीदार उम्र 23 वर्ष जाति पटेल निवासी ओडा छोटा पुलिस थाना बिछीवाडा हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत वागदरी पंचायत समिति डूंगरपुर जिला डूंगरपुर के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018) में प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित पाया जाने से नियमानुसार 35 ¼B½¼ii½ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के प्रावधानो की पालना कर जरिये पृथक से फर्द मुर्तिब की जाकर गिरफ्तार किया जाकर गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के मामा श्री धुलेश्वर पाटीदार जो इस समय ब्यूरो चोकी पर उपस्थित है को नियमानुसार दी जाकर आरोपी श्री रितिक कुमार पटेल के कब्जे में मिले पर्स जिसमें 6,500/-रूपये, पैन कार्ड, आधार कार्ड वोटर आईडी व एटीएम कार्ड के एवं इयरफोन एवं हाथ घडी आरोपी के कब्जे से ली हुई उसके मामा श्री धुलेश्वर जी को सुपूर्द की गई। समय करीब 10.40 पीएम पर आरोपी श्री रितिक कुमार पटेल हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत वागदरी पंचायत समिति डूंगरपुर जिला डूंगरपुर से आवश्यक पूछताछ कर विस्तृत नोट अलग से मुर्तिब कर शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 25-06-2025 समय करीब 01.53 ए.एम पर दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री शत्रुघन अहारी कनिष्ठ सहायकं व श्री दिलीप पाटीदार अधीशाषी अभियन्ता के समक्ष ट्रेप कार्यवाही विरूद्ध आरोपी श्री रितिक कुमार पटेल ग्राम विकास अधिकारी के दिनांक 19.06.2025 को रूबरू हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता व दिनांक 23.06.2025 को जरिये मोबाईल हुई वार्ता एवं दिनांक 24.06.2025 को रिश्वत राशि के लेनदेन के दौरान परिवादी श्री भेरा डामोर व आरोपी श्री रितिक कुमार पटेल ग्राम विकास अधिकारी के मध्य रूबरू हुई वार्ता जिसे परिवादी द्वारा ब्यूरों के डिजिटल टेप रिकोर्डर में लगे मूल मेमोरी कार्ड में रिकार्ड की गई। डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड को सरकारी कम्प्यूटर से श्री बाबुलाल कानि. से कनेक्ट करा वार्तालाप की तीन पेनड्राईव तैयार की गयी। एक पर मूल पेनड्राईव तथा दूसरी पर डब पेनड्राईव तथा तीसरी पेनड्राईव पर आरोपी लिखा गया। मूल पेनड्राईव SANDISK Cruzer Blade 08 GB जिसकी हेश वेल्यू नियमानुसार निकलवाकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर मूल पेनड्राईव को कवर में रखकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कवर को एक सफेद कपड़े की थेली में रखकर नियमानुसार सिलचिट बंद कर मार्क PM अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा कब्जे ब्यूरो लिया गया। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय करीब 02.20 ए.एम पर दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री शत्रुघन अहारी कनिष्ठ सहायक व श्री दिलीप पाटीदार अधीशाषी अभियन्ता के समक्ष ट्रेप कार्यवाही विरूद्ध आरोपी श्री रितिक कुमार पटेल, ग्राम विकास अधिकारी में दिनांक 19.06.2025 को रूबरू हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता व दिनांक 23.06.2025 को जरिये मोबाईल हुई वार्ता एवं दिनांक 24.06.2025 को परिवादी श्री भेरा डामोर व आरोपी श्री रितिक कुमार पटेल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत वागदरी पंचायत समिति डूंगरपुर जिला डूंगरपुर के मध्य रूबरू हुई रिष्वत राषि लेनदेन वार्ता जो प्रक्रिया अनुसार डिजिटल टेप रिकार्डर में प्रयुक्त मेमोरी कार्ड में सुरक्षित है, मेमोरी कार्ड को डिजीटल टेप रिकोर्डर से पृथक कर मूल मेमोरी कार्ड Master Micro SD HC 8GB मेमोरी कार्ड कवर में रखकर वजह सबूत जप्त किया जाकर एक कपडे की थैली में रखा जाकर सीलचीट करा चीट पर संबधितो के हस्ताक्षर कराये गये। नियमानुसार मार्क M अंकित कर जरिये फर्द जब्त किया गया। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय करीब 02.55 ए.एम दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री शत्रुघन अहारी कनिष्ठ सहायक व श्री दिलीप पाटीदार अधीशाषी अभियन्ता के समक्ष दौराने ट्रेप कार्यवाही विरूद्ध आरोपी श्री रितिक कुमार पटेल ग्राम विकास अधिकारी में आरोपी से रिश्वत राशि बरामदगी एवं हाथ धुलाई के दौरान् श्री बाबुलाल कानि. 393 से कार्यालय के सरकारी मोबाईल Samsung कम्पनी के Xcover7 से विडियोग्राफी करवाई गई थी उक्त मोबाईल को सरकारी कम्प्यूटर से श्री बाबुलाल कानि. 393 से कनेक्ट करा विडियोग्राफी के SANDISK Cruzer Blade 08 GB की दो पेनड्राईव तैयार की गयी। एक पर मूल पेनड्राईव तथा दूसरी पर डब पेनड्राईव लिखा गया। मूल पेनड्राईव SANDISK Cruzer Blade 08 GB को कवर में रखकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कवर को एक सफेद कपड़े की थेली में रखकर नियमानुसार सिलचिटबंद कर मार्क MV-1 अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय करीब 03.15 ए.एम पर दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री शत्रुघन अहारी कनिष्ठ सहायक व श्री दिलीप पाटीदार अधीशाषी अभियन्ता के समक्ष दौराने ट्रेप कार्यवाही विरूद्ध आरोपी श्री रितिक कुमार पटेल ग्राम विकास अधिकारी में ट्रेप कार्यवाही के दौरान् श्री बाबुलाल कानि. 393 के द्वारा कार्यालय के मोबाईल Samsung कम्पनी के Xcover7 से विडियोग्राफी करवाई गई थी जो उक्त मोबाईल में लगे मेमोरी कार्ड में सुरक्षित है, मेमोरी कार्ड को मोबाईल से पृथक कर मूल मेमोरी कार्ड बरंग काला ¼MORJIM 8 GB Micro SD HC½ मेमोरी कार्ड को कवर में रखकर वजह सबूत जप्त किया जाकर एक कपडे की थैली में रखा जाकर सीलचीट करा चीट पर संबधितो के हस्ताक्षर कराये गये। नियमानुसार मार्क MV अंकित कर जरिये फर्द जब्त किया गया। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 03.25 ए.एम पर दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री शत्रुघन अहारी कनिष्ठ सहायक व श्री दिलीप पाटीदार अधीशाषी अभियन्ता के समक्ष दौराने ट्रेप कार्यवाही विरूद्ध आरोपी श्री रितिक कुमार पटेल ग्राम विकास अधिकारी में ट्रेप कार्यवाही में आरोपी श्री रितिक कुमार पटेल ग्राम विकास अधिकारी के किराये का रूम प्रगतिनगर डूंगरपुर के दौरान् श्री बाबुलाल कानि. 393 कार्यालय के मोबाईल Samsung कम्पनी के Xcover7 से

विडियोग्राफी करवाई गई थी उक्त मोबाईल को सरकारी कम्प्यूटर से कनेक्ट करा विडियोग्राफी के SANDISK Cruzer Blade 08 GB की एक पेनड्राईव तैयार की गयी। पेनड्राईव को कवर में रखकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कवर को एक खाकी लिफाफे में रखकर लिफाफे के ऊपर चिट चम्पा कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय करीब 03.35 ए.एम पर दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री शत्रुघन अहारी कनिष्ठ सहायक व श्री दिलीप पाटीदार अधीशाषी अभियन्ता के समक्ष दौराने ट्रेप कार्यवाही विरूद्ध आरोपी श्री रितिक कुमार पटेल ग्राम विकास अधिकारी में ट्रेप कार्यवाही में आरोपी श्री रितिक कुमार पटेल ग्राम विकास अधिकारी के किराये का रूम, प्रगतिनगर डूंगरपुर के दौरान् श्री बाबुलाल कानि. 393 कार्यालय के मोबाईल Samsung कम्पनी के Xcover7 से विडियोग्राफी करवाई गई थी जो उक्त मोबाईल में लगे मेमोरी कार्ड में सुरक्षित है, मेमोरी कार्ड को मोबाईल से पृथक कर मूल मेमोरी कार्ड बरंग काला काला ¼MORJIM 8 GB Micro SD HC½ मेमोरी कार्ड को कवर में रखकर वजह सबूत जप्त किया जाकर एक कपडे की थैली में रखा जाकर सीलचीट करा चीट पर संबधितो के हस्ताक्षर कराये गये। नियमानुसार मार्क MKH अंकित कर जरिये फर्द जब्त किया गया। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय करीब 03.45 ए.एम. पर दर्ज रहे कि ट्रेप कार्यवाही विरूद्ध श्री रितिक कुमार पटेल में जब्तशुदा रिश्वती राशि, धोवन की सिल्ड शिशियां, सिल्डशुदा पेनड्राईव, मेमोरी कार्ड, जब्त शुदा आर्टीकल्स को मालखाना प्रभारी श्री वीर विक्रम सिंह को सुर्पद कर निर्देशित किया कि उक्त जप्तशुदा आर्टिकल को मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज कर सुरक्षित रखने की हिदायत दी गई। घटनास्थल का निरीक्षण प्रातःकाल किया जायेगा। रात्रि का समय होने से स्वतन्त्र गवाहान एवं परिवादी श्री भेरा डामोर को कार्यालय परिसर मे बने कमरे मे आराम करने की मुनासिब हिदायत दी गई। समय करीब 3.50 ए.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक मय् ब्यूरो जाप्ता महेश चन्द्र कानि. एवं श्री जितेन्द्र कुमार कानि. मय सरकारी वाहन के गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री रितिक कुमार पटेल का स्वास्थ्य परीक्षण कराने व आरोपी श्री रितिक कुमार पटेल को बन्द हवालात पुलिस थाना सदर डूंगरपुर हेतु राजकीय हरिदेव जोशी चिकित्सालय, डूंगरपुर व पुलिस थाना सदर डूंगरपुर के लिए रवाना हुआ। समय 4.45 ए.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक मय् ब्यूरो जाप्ता महेष चन्द्र कानि. एवं श्री जितेन्द्र कुमार कानि. मय सरकारी वाहन के गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री रितिक कुमार पटेल का स्वास्थ्य परीक्षण राजकीय हरिदेव जोशी सामान्य चिकित्सालय, डूंगरपुर से करा रवाना हो पुलिस थाना सदर डूंगरपुर पंहुच आरोपी श्री रितिक कुमार पटेल को बन्द हवालात करा परीक्षण रिपोर्ट व पुलिस थाना सदर डूंगरपुर के रोजनामचा आम की प्रतियो के साथ उपस्थित कार्यालय आये। जिसे शामील पत्रावली की गई। समय करीब 9.05 ए.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान एवं श्री करण सिंह एएसआई व परिवादी श्री भेरा डामोर के घटना स्थल ग्राम पंचायत वागदरी के लिए कार्यालय से जरिये सरकारी वाहन रवाना हुआ। समय करीब 9.45 ए.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान एवं श्री करण सिंह एएसआई व परिवादी श्री भेरा डामोर के बाद निरीक्षण घटना स्थल नक्शा मौका मुर्तिब कर घटना स्थल से मय हमराहियानों के जरिये सरकारी वाहन से रवाना हो कार्यालय में उपस्थित हुआ। फर्द नक्शा मौका अलग से मूर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर कराये गये। समय करीब 10.45 ए.एम. पर श्री करण सिंह स.उ.नि. एवं महेश कानि. एवं जितेन्द्र कुमार कानि. मय सरकारी वाहन के गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री रितिक कुमार पटेल को पुलिस थाना सदर डुंगरपुर से प्राप्त कर ब्यूरों चोकी पर लाने हेतु रवाना किया गया। समय करीब 11.15 ए.एम. पर श्री करण सिंह स.उ.नि. एवं महेश कानि. एवं जितेन्द्र कुमार कानि. मय सरकारी वाहन के गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री रितिक कुमार पटेल को पुलिस थाना सदर डुंगरपुर से प्राप्त कर ब्यूरों चोकी पर लेकर उपस्थित आये। समय करीब 01.15 ए.एम. पर श्रीमान रतनसिंह राजपुरोहित पुलिस अधीक्षक मय जाप्ता श्री करण सिंह स.उ.नि. एवं श्री जितेन्द्र कुमार कानि., श्री दीपक कुमार कानि. आरोपी श्री रितिक कुमार पटेल ग्राम विकास अधिकारी को सरकारी वाहन से जरिये जे.सी. रिमाण्ड के साथ माननीय विशिष्ठ न्यायाधीश न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम उदयपुर क्रमांक 01 के समक्ष पेश करने हेतु मय डायरी के रवाना हुऐ। इस प्रकार अब तक की सम्पूर्ण कार्यवाही से यह पाया गया हैं कि परिवादी परिवादी श्री भेरा डामोर पुत्र जीवा जाति भील उम्र 34 वर्ष निवासी उपलाफला वागदरी तहसील पालदेवल ने एक हस्तलिखित रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की कि " मेरी पत्नी श्रीमति मन्जुला के नाम से वागदरी ग्राम पंचायत से प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत राशी स्वीकृत हुई है जो मेरी पत्नी मन्जुला के खाते मे बैंक ऑफ बडोदा की शाखा-पालदेवल मे 15,000/- रू. कि पहली किश्त जमा हुई है व शेष राशी अभी जमा होना बाकी है शेष बाकी किश्ते जारी कराने के लिए ग्राम पंचायत वागदरी के ग्राम विकास अधिकारी श्री रितिक पटेल 15,000 रूपये की मांग कर रहे है ओर कह रहे है कि 15000/- रूपये तुम मुझे दोगे जब ही दुसरी किश्त बैंक से जारी करवाने की कार्यवाही करूंगा रितीक पटेल ग्राम विकास अधिकारी मेरी पत्नी मन्जुला के नाम प्रधानमंत्री आवास योजना की बाकी किश्त जारी कराने के लिए मेरे से 15000 रूपये रिश्वत मांग रहा है जिस पर नियमानुसार रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता करवाई गई। जिसमें आरोपी द्वारा परिवादी से एडवांस 5000/- रूपये रिष्वत राषि व सेकण्ड किश्त आने के बाद दस हजार रूपये ग्रहण करने की सहमति देने की पुष्टि हुई। जिस पर ट्रेप कार्यवाही आयोजित की गई। दौराने ट्रेप कार्यवाही आरोपी श्री रितिक कुमार पटेल द्वारा परिवादी श्री भेरा डामोर से 5,000/- रूपये रिश्वत राशि मांग कर ग्रहण करना प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया हैं, जो धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के तहत दण्डनीय अपराध हैं। अतः

श्री रितिक कुमार पटेल पिता श्री हीरालाल पाटीदार जाति पटेल, उम्र 23 वर्ष निवासी पटेलवाडा मुकाम छोटा ओडा पुलिस थाना बिछीवाडा जिला डुंगरपुर हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत वागदरी पंचायत समिति डुंगरपुर जिला डुंगरपुर के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांकन हेतु प्रेषित हैं। (राजेन्द्र सिंह) पुलिस निरीक्षक, भ्र0नि0ब्यूरो डूंगरपुर.............कार्यवाही पुलिस.......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री राजेन्द्र सिंह, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, डूंगरपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अर्न्तगत 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री रितिक कुमार पटेल पुत्र श्री हिरालाल पाटीदार उम्र 23 वर्ष जाति पटेल निवासी ओडा छोटा पुलिस थाना बिछीवाडा हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत वागदरी पंचायत समिति डूंगरपुर जिला डूंगरपुर के विरूद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियों नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री ऋषिकेष मीना,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रनिब्यूरो, बांसवाडा को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 1064 पर अंकित है। (डॉ. प्यारे लाल शिवरान) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 946-49 दिनांक 26-06-2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है:-1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर। 2-उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर। 3- मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद डूंगरपुर।,4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, डूंगरपुर । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। ।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** RISHIKESHKESH MEENA **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pyare Lal Shivran
Location: Rajasthan,IN
Date: 26/06/2025 16:48:59

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): DR PYARE LAL SHIVRAN
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	2002				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)